17

भाग 4 (ग)
अंतिम नियम
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 1995

क्र. 4-197-94-151-95-सं.-तीस.-राज्य शासन द्वारा पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय, मध्यप्रदेश के अंतर्गत राज्य में संरक्षित पुरातत्वीय/ऐतिहासिक स्मारकों/संग्रहालयों एवं पुरावशेषों आदि के रख-रखाव तथा अनुरक्षण के लिये **'धरोहर के लिये उद्योग-अतीत का संरक्षण भविष्य के लिये'** नामक योजना बनाई गई है। इस योजना के संचालन के लिये राज्य सरकार निम्न नियम बनाती है:-

नियम

1. ये नियम **'धरोहर के लिये उद्योग-अतीत का संरक्षण भविष्य के लिये'** निधि नियम, 1994 कहलायेंगे, जिन्हें इसके बाद नियम कहा जावेगा।

2. ये नियम 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे।

3. **परिभाषायें-** (1) 'राज्य शासन' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय से होगा;
   (2) 'सचिव, संस्कृति' से तात्पर्य, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय से होगा;
   (3) 'आयुक्त' से तात्पर्य आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश से होगा।
   (4) 'समिति' से तात्पर्य नियम-8 में उल्लेखित समिति से होगा।
   (5) 'कार्यपालन यंत्री' से तात्पर्य आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री से होगा।

4. इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक से उक्त योजना के संचालन के लिये राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत निधि गठित की जायेगी जो 'धरोहर के लिये उद्योग-अतीत का संरक्षण भविष्य के लिये योजना निधि' कहलायेगी। यह निधि मध्यप्रदेश कोष संहिता नियम, 601 के प्रयोजनों के लिये संग्रहालय निधि (म्यूजियम फण्ड) मानी जायेगी।

5. इस निधि में प्राप्त होने वाली राशि लोक लेखा शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण योजनायें (200) अन्य विकास योजनायें (0029) धरोहर के लिये उद्योग-अतीत का संरक्षण भविष्य के लिये योजना में जमा की जायेगी। निधि में जमा एवं आहरण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश कोष संहिता खंड 1 के नियम 604 के अंतर्गत होंगे।

6. उक्त निधि में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बड़े औद्योगिक घरानों आदि से मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारकों, संग्रहालयों एवं पुरावशेषों आदि के लिये आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जावेगा। वित्तीय सहयोग देने वाले उद्योगों का योगदान स्मारक पटल पर तथा विभागीय प्रकाशनों में उल्लेख किया जावेगा।

7. इस निधि में प्राप्त होने वाली राशि को पूंजीगत आय मानकर उससे स्थायी संपत्ति तैयार की जावेगी। निधि स्थापित होने पर राजस्व भाग से कोई राशि प्रावधानित कर हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. इस निधि के विनियंत्रण के लिये राज्य शासन द्वारा समिति गठित की जायेगी जिसमें सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम न हो तथा आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल सदस्य होंगे।

9. इस निधि में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बड़े औद्योगिक घरानों इत्यादि से प्राप्त होने वाली कितनी भी मात्रा में राशि क्रास्ड चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक द्वारा जमा की जा सकेगी।

10. प्राप्त होने वाली प्रत्येक राशि की अभिस्वीकृति आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रोफार्मा में तुरन्त जारी की जावेगी।

11. यह आवश्यक नहीं होगा कि इस निधि में जमा होने वाली राशि उसी वर्ष में खर्च की जावे जिस वर्ष में वह प्राप्त हुई है। निधि में जमा राशि का किसी भी वर्ष में उपयोग किया जा सकेगा किन्तु बंधन यह होगा कि वह उसी स्मारक, संग्रहालय अथवा पुरावशेषों पर खर्च की जावेगी जिनके लिये राशि दान स्वरूप प्राप्त हुई है।

12. इस निधि में से एक बार में अधिकतम रुपये 5.00 लाख व्यय करने के लिये आयुक्त तथा एक बार में रुपये 5.00 लाख से अधिक किन्तु अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक व्यय करने के लिये सचिव, संस्कृति सक्षम अधिकारी होंगे।

13. नियम 12 में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने के लिये उपरोक्त नियम 8 में गठित समिति की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

14. निधि से चेक द्वारा आहरण के लिये आयुक्त, पुरातत्व सक्षम होंगे लेकिन रुपये 10.00 लाख से अधिक राशि केवल संस्कृति सचिव तथा आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त चेक द्वारा ही निकाली जा सकेगी।

15. आयुक्त, पुरातत्व कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री को तकनीकी स्वीकृति का अधिकार रुपये 5.00 लाख (पाँच लाख) केवल तक होगा।

16. इस निधि का लेखा-जोखा आयुक्त के अधीन रखा जावेगा और प्रतिमाह आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रस्तुत किया जावेगा।

17. उपरोक्त निधि के लेखे आयुक्त, पुरातत्व द्वारा वित्तीय वर्ष अनुसार रखे जावेंगे और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त कर बकाया राशि का मिलान कोषालय में संधारित लेखों से किया जायेगा।

18. नियम-8 में उल्लेखित समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार बुलाई जायेगी।

19. आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार तथा संग्रहालय का यह कर्तव्य होगा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के तीन माह के अंदर उपरोक्त निधि का लेखा-जोखा नियम-8 में उल्लेखित समिति के समक्ष रखें एवं वार्षिक बजट तथा लक्ष्य उक्त समिति से पारित करावें।

20. इस निधि का लेखा एवं अन्य अभिलेखों का संधारण वित्तीय नियमों के अंतर्गत निर्धारित रीति के अनुसार किया जावेगा।

21. निधि के संचालन में होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य शासन सक्षम होगा।

22. इस निधि की राशि मध्यप्रदेश राज्य के अंदर संरक्षित पुरातत्व स्मारकों, संग्रहालयों एवं पुरावशेषों आदि पर ही व्यय की जायेगी।

23. **निर्वचन-** यदि इन नियमों के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जावेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

24. राज्य शासन इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर सकेगा।

25. ये नियम वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 44-SR-21-चार-ब-3-95, दिनांक 16 जनवरी 1995 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंशु वैश्य, सचिव